

प्रीतन जी  
 मुताबिक बलाय रिपोर्ट के क्रमांक 2723/200 के  
 जमीन पुत्र अठपुत्र हीम दि-1/12 न जमीन खत रसी का अठपुत्र हीम  
 दि-2/3 जमि-मुसलमान दर्जे के पूर्व के जामा रिपोर्ट के जमीन पुत्र  
 हीम दि-1/12 का अठपुत्र हुआ जका जामा न बौचान दिनांक 2/1/2001  
 के जमीन खत रसी का अठपुत्र हीम दि-2/3 का अठपुत्र हुआ  
 जका एच डि पब्लिश है है अतः टैक्स की जिम्मेदार पर शुरू किया  
 अंतर होगा।

पू अमिलेख निरीक्षक को जॉच रिपोर्ट  
 प्रमाण मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के जमिन व जमिन खत रसी  
 दोनों एक ही पार्क के नाम बताए गए है कि जमिन खत रसी के जमिन  
 हिस्से 1/2-2/3 के रसी करते हुए जमीन खत रसी पुत्र जामा रिपोर्ट  
 दि 13/27 पुरान किया जाया रसी है जे न अठपुत्र लखनपुर, मुसलमान

तहसीलदार की रिपोर्ट

प. हठ को रिपोर्ट व प्र. प्रमां के जोच के अन्वये  
 (दुरुस्ती की शर्तों) के जाते हैं

25/9/25

2025  
 474  
 क्रमांक / 206

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक- 29-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अमिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी इल्का की रिपोर्ट एवं मुअमिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुज्ञा अनुसार राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुर तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 2723/200 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में सुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	जमीन पुत्र अठपुत्र हीम दि-1/12 जमीन खत रसी 1/2 अठपुत्र हीम दि-2/3 शेष का 2723/200		उपरोक्त खात सो. में वर्षित अनुज्ञा	पटवारी रिपोर्ट अनुज्ञा शेष का 2723/200		

क्रमांक :- 5103-04

दिनांक :- 29-9-25

उपलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद की फाइल में  
 2. उपरोक्त पत्रावली

